

7

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-89/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक-

डा० दीप ज्योति, सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर, पी०एस०एम० विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा द्वारा दिनांक-16.03.2026 से 11.09.2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन द्वितीय सतान के प्रसव हेतु उपभोगित/उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-89/2026-

1252(2) पटना, दिनांक 10/6/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्राचार्य, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा/जिला कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डा० दीप ज्योति, सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर, पी०एस०एम० विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. K. K. 8/5/26
सरकार के उप सचिव।

R